न्यायालय–रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ, जिला गुना (म.प्र.)

RCT No./628/2022
Filling No. RCT/1440/2022
C.N.R. No. mp 08050015832022
Filling Date 18-10-2022

(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोगी / परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र–राघौगढ जिला गुना म. प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	हरलाल पिता फूलचंद सैनी, उम्र–लगभग 41 साल, निवासी–होलीवाला चौक राघौगढ, जिला गुना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संतोष प्रजापति अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	18.08.2022
प्र. सू. रि. की तिथि	18.08.2022
आरोप पत्र की तिथि	18.10.2022
आरोप विरचना की तिथि	10.02.2023
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	10.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	20.06.2024
निर्णय की तिथि	20.06.2024
दंडादेश, यदि कोई हो तो	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किया जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दप्रंस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	हरलाल पिता फूलचंद सैनी	12.10.2022	12.10.2022	भा.दं.सं. की धारा 279, 337(काउण्ट दो)	दोषमुक्त	कुछ नहीं	निरंक

क अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अ.सा. 1	नन्नूलाल	फरियादी / शिकायतकर्ता
अ.सा.2	अमर सिंह	आहत साक्षी

ख प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.	निरंक	निरंक

ग न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्या. सा.	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची
क अभियोजन

संख्या क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी 1 लगायत 03 / अ. सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नक्शामौका, पुलिस कथन
02.	प्रदर्श पी 04 / अ. सा.2	पुलिस कथन

ख प्रतिरक्षा

संख्या क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग न्यायालयीन

संख्या क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुए :

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

पुलिस थाना—राघौगढ जिला—गुना (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 362 / 22 अंतर्गत धारा— 279, 337काउण्ट दो, भा0द0सं0 से उद्भूत प्रकरण।

।। निर्णय ।।

{आज दिनांक 20 / 06 / 2024 को घोषित}

01— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(काउण्ट दो), के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 18.08.2022 को समय

लगभग 12:30 बजे, स्थान भरसूला चौराह राघौगढ में, वाहन क्रमांक MP-08-R-3294 को उतावले या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, आहतगण नन्नूलाल एवं अमर सिंह को टक्कर मारकर स्वेच्छया से उपहति कारित की।

02– प्रकरण में फरियादी/आहतगण और अभियुक्त के मध्य राजीनामा होना स्वीकृत तथ्य है।

03– अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि– फरियादी नन्नूलाल पिता रायसिंह भील, उम्र–23 साल, निवासी–ग्राम परसौलिया ने मय हमराह अपने ताउ अमरसिह भील के साथ थाना उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि 18.08.2022 को वह अपनी नई मोटरसाइकिल जिसका नंबर अभी नहीं आया, से अपने घर से अपने ताउ अमर सिंह को पीछे बैठाकर राघौगढ आ रहा था, समय करीब 12:30 बजे वह जैसे ही भरसूला चौराहा पर आया तभी सामने राघौगढ तरफ से एक टैक्सी क्रमांक एमपी 08 आर. 3294 का चालक अपनी टैक्सी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह और उसका ताउ अमरसिंह गिर गये, जिससे उन्हें हाथ, पैर, सिर में चोट आई थी। फरियादी की सूचना पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर, संपूर्ण विवेचना उपरांत अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04– प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी/आहतगण नन्नूलाल, अमरसिंह एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को भारतीय दंड सहिता की धारा 337काउण्ट दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 279 भा.दं.सं. के संबंध में विचारण जारी रहा है।

05– प्रकरण में अभियुक्त को निर्णय की कण्डिका क्रमांक 01 में वर्णित आरोप पढकर सुनाये एंव समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोप को अस्वीकार किया गया है।

06– **<u>विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है</u>** :–

01. क्या अभियुक्त ने उपरोक्त सुसंगत घटना, दिनांक समय व

स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

02. दण्डादेश यदि कोई हो तो ?

(आधार एवं निष्कर्ष)

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का सकारण निष्कर्ष

07– इस संबंध में अभियोजन साक्षी नन्नूलाल अ.सा.–1, अमर सिंह अ.सा. 2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया कि वह अभियुक्त को नहीं जानते है, घटना दिनांक को किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसकी रिपोर्ट नन्नूलाल अ.सा.1 ने पुलिस को की थी जो प्रदर्श पी 1 एवं नक्शामौका प्रदर्श पी 2 है। इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जान पर भी साक्षी/आहतगण नन्नूलाल अ.सा.–1, अमर सिंह अ.सा.2 द्वारा अभियुक्त की पहचान के संबंध में तथा दुघ र्टनाकारित करने वाले वाहन के नंबर के संबंध में कोई तथ्य प्रकृट नहीं किये है। ऐसे में स्वयं आहतगण द्वारा अभियुक्त की पहचान तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान के संबंध में तथ्य प्रकट नहीं किये जाने से साक्षी की साक्ष्य संदेहपूर्ण प्रतीत होती है।

08– प्रकरण में स्वयं नन्नूलाल अ.सा.–1, अमर सिंह अ.सा.2 के द्व ारा घटना के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नही किये जाने से अभियोजन कहानी संदेहपूर्ण प्रतीत होकर उक्त साक्षी की साक्ष्य अभियोजन को कोई लाभ प्रदान नही करती है।

09– ऐसे में घटना स्थल पर अभियुक्त को देखा हो ऐसे साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है तब अभियुक्त उक्त सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नगत वाहन चला रहा था यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन असफल रहा है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत हरियाण राज्य विरूद्ध शेरसिंह ए आई आर 2009** में यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जो प्रश्नगत वाहन चला रहा था। यदि यह तथ्य प्रमाणित नही होता है तो अभियुक्त को तेजी एंव लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया जा सकता।

10– अतः अभियोजन अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त

हरलाल पिता फूलचंद सैनी, उम्र–लगभग 41 साल, निवासी–होलीवाला चौक राघ ौगढ, जिला गुना म.प्र. के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279 के अंतर्गत आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्त को उक्त वर्णित धाराओं के आरोप से **दोषमुक्त घोषित** किया जाता हैं।

11– प्रकरण में द0प्र0स0 की धारा 428 के अधीन मुजरा प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर अभियुक्त को प्रदान किया जावे।

12– अभियुक्त के पूर्व निष्पादित जमानत मुचलके भारमुक्त घोषित किये जाते है।

13– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन MP-08-R- 3294 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी/अभियुक्त हरलाल को अंतरिम सुपुदर्गी पर दी जा चुकी है अतः उक्त वाहन के संबंध में पृथक से आदेश पारित नही किया जा रहा है। उक्त सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है अथवा अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

दिनांक 20/06/2024
स्थानः–राघौगढ जिला गुना (म.प्र.)

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(रवि तवंर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ जिला गुना म0प्र0

निर्णय मेरे निर्देश पर और उद्भोदन पर टंकित किया गया।

(रवि तवंर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ जिला गुना म0प्र0

RAVI TANWAR

Digitally signed by RAVI TANWAR
Date: 2024.06.20 18:20:38 +0530